न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 06/2011 निगरानी

1. केशरा
2. भौरया } पि0 जैला } जाति मीणा निवासी ग्राम इन्दावा खांचा वाली ढाणी तहसील लालसोट जिला दौसा
3. काना

निगरानीकर्ता

बनाम

1. लल्लूप्रसाद पुत्र ठाकर्या जाति मीना निवासी ग्राम इन्दावा खांचा वाली ढाणी तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत राजौली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत राजौली तहसील लालसोट।
3. ग्राम पंचायत राजौली जरिये सचिव ग्राम पंचायत राजौली तहसील लालसोट।

गैरनिगरानीकार

निगरानी अ.धा. 97 राज0 पंचायत अधिनियम विरूद्ध पट्टा आदेश दिनांक 09.12.10 संकल्प सं0–18 पट्टा संख्या 3520 अधीनस्थ ग्राम पंचायत राजौली द्वारा जो गैरनिगरानीकार सं0 1 को जारी किया है।

उपस्थिति : पं0 रामबाबू शर्मा अधिवक्ता निगरानीकर्ता
: श्री देवीसिंह चौहान अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 2, 3

–:निर्णय:– दिनांक: 20.02.2018

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार सं0 1 के सह स्वामित्व एवं संयुक्त कब्जे की एक आबादी भूमि खसरा नम्बर 363 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी वाकै ग्राम इन्दावा तहसील लालसोट में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण निगरानीकर्ता एवं अप्रार्थी सं0 1 के संयुक्त मकानात बाडे व पिछवाडे बने हुए हैं। उक्त आबादी में प्रार्थीगण का हिस्सा 3/4 तथा अप्रार्थी सं0 1 का हिस्सा 1/4 है। गैर निगरानीकार सं0 1 के द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को हड़पने के उद्देश्य से गैर निगरानीकार सं0 2 व 3 से सांठगांठ कर विवादित पट्टा सारी भूमि का जारी करवा लिया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत राजौली द्वारा आदेश जैर निगरानी अर्थात पट्टा सं0 3520 संकल्प सं0 18 दिनांक 9.12.10 को जारी करने में अवैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई है। उक्त पट्टा सं0 3520 संकल्प सं0 18 दिनांक 9.12.10 को निरस्त करवाने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलवी गैरनिगरानीकार की गई व अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया एवं बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा बहस के दौरान निगरानी के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि पट्टा संख्या 3520 दिनांक 9.12.10 का खसरा नम्बर 363 का रकबा 2 बिस्वा अर्थात 300 वर्गगज है। जिसमें निगरानीकार सं0 1,2,3 एवं गैरनिगरानीकार सं0 1 चारों का कब्जा है। तीनों निगरानीकार के मकानात व बाड़ा 3/4 हिस्सा एवं गैर निगरानीकार सं0 1 का हिस्सा 1/4 है। पट्टा 426 वर्गगज का जारी हुआ है जबकि आबादी भूमि ही 300 वर्गगज है। जिम्मन नं0 3 में भलीभांति लिखा है संयुक्त कब्जे की आबादी भूमि है। खसरा नम्बर 363 के अलावा कोई आबादी भूमि नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा न तो मौका देखा न कोई आपत्ति नोटिस ही दिया है, न ही निगरानीकारान को सुना है। इस प्रकार विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। अतः जारीशुदा पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया कि जारीशुदा पट्टा खसरा नम्बर 363 का भाग ही नहीं है। पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किया गया है। मौका निरीक्षण कर एवं मौका रिपोर्ट ली जाकर आपत्तियां सुनी गई है। उसके बाद पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकार जारीशुदा पट्टे से किस प्रकार प्रभावित है। जारीशुदा पट्टे पर कब्जे का भी साक्ष्य नहीं है। प्रक्रिया में किसी प्रकार की कमी रह जाती है या अनियमितता रह जाती है जो कि दूर की जा सकती है। अतः निगरानी खारिज फरमायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया साथ ही ग्राम पंचायत राजौली से प्राप्त मूल पत्रावली का भी अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त प्रश्नगत पट्टा सं0 3520 संकल्प सं0 18 दिनांक 9.12.10 जारी किये जाने से पूर्व प्रश्नगत पटटा भूमि के सम्बन्ध में जांच नही की गई है तथा ग्राम पंचायत राजोली द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अतः प्रकरण ग्राम पंचायत राजौली पंचायत समिति लालसोट को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत राजौली पंचायत समिति लालसोट द्वारा गैरनिगरानीकार सं. 01 के हक में जारी किया गया पटटा पट्टा सं0 3520 दिनांक 9.12.10 को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत राजौली पंचायत समिति लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुना जाकर विवादित पट्टा भूमि के सम्बन्ध में जांच कर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर,
दौसा

निर्णय आज दिनांक 20.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर,
दौसा